

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)  
पीठासीन अधिकारी - नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 55/2021

रजिस्ट्रेशन नं. :2021/69

राजस्थान राज्य जरिये  
खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
बांसवाड़ा

बनाम

अभियुक्त :-


1. श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री गेबीलाल गुर्जर  
मैसर्स - गणेश मिल्क डेयरी 1 बी 17  
जैन मन्दिर के पास, माही सरोवर,  
बांसवाड़ा
2. श्रीमती अन्जना पत्नि श्री मुकेश कुमार  
गुर्जर मालिक मैसर्स - गणेश मिल्क  
डेयरी 1 बी 17 जैन मन्दिर के पास, माही  
सरोवर, बांसवाड़ा

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक  
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 20.12.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा दिनांक 15-11-2021 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 25-06-2021 को 11.00 ए.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स गणेश मिल्क डेयरी 1 बी 17 जैन मन्दिर के पास, माही सरोवर, बांसवाड़ा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री गेबीलाल गुर्जर उपस्थित थे। निरीक्षण करने पर विक्रेता की दुकान में फ्रीजर में लगभग 40 किलोग्राम पनीर आम जनता को विक्रय हेतु पाया गया। इसमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर पर सूचना देते हुए 1 किलोग्राम पनीर वास्ते नमूना जाँच हेतु क्रय कर इनकी कीमत 300 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमूना जाँच हेतु खरीदशुदा 1 किलोग्राम पनीर को चार साफ, सुखी व खाली शीशी में बराबर-बराबर मात्रा में लेकर फार्मेलीन की 20-20 बूंद प्रत्येक में डालकर ढक्कन एयर टाईट बन्द किया। उक्त चार नमूना भागों में से एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिक्रिया कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य

  
न्याय निर्णयन अधिकारी  
(अति.जिला कलक्टर)

चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।


अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2021/272 व 273-274 दिनांक 13.07.2021 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 108 दिनांक 07.07.2021 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया पनीर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाये जाने से विक्रेता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 22-11-2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 20.12.2021 को अभियुक्त श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री गोबीलाल गुर्जर मैसर्स - गणेश मिल्क डेयरी 1 बी 17 जैन मन्दिर के पास, माही सरोवर, बॉसवाडा तथा श्रीमती अन्जना पत्नि श्री मुकेश कुमार गुर्जर मालिक मैसर्स - गणेश मिल्क डेयरी 1 बी 17 जैन मन्दिर के पास, माही सरोवर, बॉसवाडा ने न्यायालय में उपस्थित होकर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।


हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2021/272 व 273-274 दिनांक 13.07.2021 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 108 दिनांक 07.07.2021 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया पनीर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत विक्रेता द्वारा सबस्टैण्डर्ड किया गया पनीर का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक

  
न्याय निर्णयन अधिकारी  
(अति.जिला क्लर्क)  
बॉसवाडा (राज.)

अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 का उल्लंघन किया है आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री गेबीलाल गुर्जर मैसर्स – गणेश मिल्क डेयरी 1 बी 17 जैन मन्दिर के पास, माही सरोवर, बॉसवाडा को 7500/- (अक्षरे रू. सात हजार पाँच सौ मात्र) श्रीमती अन्जना पत्नि श्री मुकेश कुमार गुर्जर मालिक मैसर्स – गणेश मिल्क डेयरी 1 बी 17 जैन मन्दिर के पास, माही सरोवर, बॉसवाडा को 7500/- (अक्षरे रू. सात हजार पाँच सौ मात्र) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2021 खुले न्यायालय सुनाया गया।



नरेश बुनकर  
(नरेश बुनकर)  
न्यायनिर्णय अधिकारी  
(खाद्य सुरक्षा कानून)  
(वि.सि. जिला, कुलपट्टर)  
बंसवाडा (राज.)  
बंसवाडा